

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

ओम प्रकाश झा,
अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना
महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना
प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 15.12.2016

विषय:- बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बिहार विनियोग(संख्या-4) विधेयक, 2016 पर महामहिम राज्यपाल ने दिनांक: 13.12.2016 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। विधि विभाग ने बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 21, 2016) को अधिसूचना संख्या-एल0जी0-01-22/2016/लेज: 225 एवं 226 (अंग्रेजी अनुवाद) दिनांक: 15.12.2016 द्वारा अधिसूचित किया है, जिसे बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या- 1057 दिनांक-15.12.2016 से प्रकाशित किया गया है।

2. बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या- 1057 दिनांक-15.12.2016 की पाँच प्रतियाँ, प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना एवं 35 प्रतियाँ महालेखाकार, ले0 एवं हक0 को तथा सभी विभागों को एक-एक प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

3. उपर्युक्त के आलोक में 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण में सीधे अनुसूची के माध्यम से खण्ड-2 भाग-1 में पृष्ठ सं0-1 से 116 तक में प्रावधानित राशि को नियमानुसार व्यय किया जा सकता है। राशि का व्यय बिहार गजट की अनुसूची में प्रदर्शित प्रत्येक मांग/विनियोग के लिए राजस्व एवं पूंजी के अधिकतम राशि तक ही किया जा सकता है। अगर कोई नये उपशीर्ष में राशि प्रावधानित की गयी हो तो उस उपशीर्ष से राशि का व्यय महालेखाकार से उक्त उपशीर्ष के खोलने संबंधी सहमति पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाना है।

4. वित्तीय वर्ष 2016-17 की द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण पुस्तिका की प्रति विभागों एवं प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना एवं महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को पत्रांक: 1162 दिनांक: 28.11.2016 द्वारा पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है।

5. द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी से संबंधित गजट को बिहार गजट के वेबसाईट <http://cgazette.nic.in/> पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन,

(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-279/2016 1211/वि0 पटना, दिनांक: 15.12.2016

प्रतिलिपि-महामहिम राज्यपाल के सचिव/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/आरक्षी महानिदेशक, बिहार, पटना/महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/अध्यक्ष, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग/स्थानीय आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री के सचिव/मंत्री, वित्त विभाग के आप्त सचिव /लोकायुक्त के सचिव/सचिव, राजस्व पर्षद/महानिरीक्षक, कारा, गृह विभाग/राज्य सूचना आयोग के सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त के सचिव को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-279/2016 1211/वि0 पटना, दिनांक: 15.12.2016

प्रतिलिपि-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-279/2016 1211/वि0 पटना, दिनांक: 15.12.2016

प्रतिलिपि- निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/निदेशक, श्रम निदेशालय, श्रम संसाधन विभाग/निदेशक, पुरातत्व निदेशालय/निदेशक, संग्रहालय निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग/निदेशक, गव्य निदेशालय/निदेशक, मत्स्य निदेशालय/निदेशक, पशुपालन निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/निदेशक, जन शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/निदेशक, सामाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग/निदेशक,

कृषि निदेशालय, कृषि विभाग/निदेशक, चकबंदी/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय/निदेशक, सर्वे निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय/निदेशक, अभिलेखाकार/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, देशी चिकित्सा/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवार्ये/निदेशक, सांस्थिक वित्त/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सचिव, वाणिज्य-कर न्यायधिकरण/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-279/2016 1211 /वि0 पटना, दिनांक: 15.12.2016

प्रतिलिपि- अभिलेखाकार पदाधिकारी, बिहार, पटना/उप सचिव, बिहार विधान सभा पुस्तकालय/अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् पुस्तकालय को बिहार गजट की 5-5 प्रतियाँ अभिलेख संधारण हेतु प्रेषित।

(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-279/2016 1211 /वि0 पटना, दिनांक: 15.12.2016

प्रतिलिपि- मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग/निदेशक, प्रेस एवं स्टेशनरी/संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन/संयुक्त सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, वित्त शाखा-4 एवं 5/ संयुक्त सचिव, प्रभारी शाखा-10/संयुक्त सचिव, डाटा कोषांग/संयुक्त सचिव, कोषागार शाखा/ संयुक्त सचिव, स्थापना/संयुक्त सचिव, लेखा शाखा/ उप सचिव, लोक उद्यम ब्यूरो/ निदेशक, सांस्थिक वित्त/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग के आप्त सचिव/सचिव (संसाधन) एवं (व्यय), वित्त विभाग के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, शाखा-10, 13 एवं 4 को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-279/2016 1211 /वि0 पटना, दिनांक: 15.12.2016

प्रतिलिपि- स्थानीय लेखा परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वीरचन्द्र पटेल मार्ग, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-279/2016 1211 /वि0 पटना, दिनांक: 15.12.2016

प्रतिलिपि- सभी उप बजट नियंत्रक सह उप सचिव/उप निदेशक/लेखा पदाधिकारी, वित्त विभाग /प्रणाली विश्लेषक/ आई0 टी0 मैनेजर डाटा कोषांग को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रणाली विश्लेषक/ आई0 टी0 मैनेजर डाटा कोषांग को निदेशित किया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दें तथा सभी विभाग/जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल भी कर दें।

(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-279/2016 1211 /वि0 पटना, दिनांक: 15.12.2016

प्रतिलिपि-बजट शाखा के सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सहायकगण को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 अग्रहायण 1938 (श0)
(सं0 पटना 1057) पटना, वृहस्पतिवार, 15 दिसम्बर 2016

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

15 दिसम्बर 2016

सं० एल0जी0-01-22/2016-225/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 13 दिसम्बर 2016 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दुबे,
सरकार के प्रभारी सचिव।

[बिहार अधिनियम 21, 2016]

बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2016

बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशि की निकासी 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1-(1) यह अधिनियम बिहार विनियोग(संख्या-4) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा ।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
 - (3) यह 01 अप्रील 2016 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
2. 2016-17 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 44,61,69,65,000 (चवालीस अरब इकसठ करोड़ उनहत्तर लाख पैंसठ हजार) रुपये की निकासी । - बिहार राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 01 अप्रील, 2016 को शुरू होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्यय की पूर्ति के लिए, कुल 44,61,69,65,000 (चवालीस अरब इकसठ करोड़ उनहत्तर लाख पैंसठ हजार) रुपये, जो इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशि से अधिक न होगा, निकाले जा सकेंगे ।
3. विनियोग-1 - इस अधिनियम के अधीन बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशि, 01 अप्रील, 2016 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए, होगी और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग -	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
1	कृषि विभाग	राजस्व	53,40,49,000		53,40,49,000
		पूंजी			
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	37,57,65,000		37,57,65,000
		पूंजी			
3	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	1,30,00,000		1,30,00,000
		पूंजी	58,08,42,000		58,08,42,000
4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	2,50,74,000		2,50,74,000
		पूंजी	1,60,00,00,000		1,60,00,00,000
5	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व		3,24,20,000	3,24,20,000
		पूंजी			
6	निर्वाचन विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
7	निगरानी विभाग	राजस्व	39,83,000		39,83,000
		पूंजी			
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	1,000		1,000
		पूंजी			
9	सहकारिता विभाग	राजस्व	24,26,000		24,26,000
		पूंजी			
10	ऊर्जा विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
12	वित्त विभाग	राजस्व	25,00,000	20,79,81,000	21,04,81,000
		पूंजी			
13	सूद भुगतान	राजस्व		19,35,67,000	19,35,67,000
		पूंजी			
14	ऋण अदायगियां	राजस्व			
		पूंजी		8,19,56,000	8,19,56,000